महत्वपूर्ण एवं खास

आबकारी मंत्री के निर्देश पर बार संचालक भेजा गया जेल

रायपुर (आरएनएस)। राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देश पर शनिवार को रायपुर के तेलीबांधा में स्थित मोती महल के उपर इक्लीप्स द स्कॉय बार में दबिश देकर अवैध शराब जब्त की गई थी। इस दौरान कुल 21.5 बल्क लीटर मदिरा बरामद की गई। दबिस के दौरान बार के प्रभारी द्वारा कोई परमिट अथवा लायसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34-2, एवं 36 के तहत प्रकरण कायम कर गैर जमानती धाराओं में जेल भेज दिया गया है। उक्त रेस्टोरेंट मोती महल के उपरी छत पर स्थित है। इस बार में छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश की भी शराब पकड़ी गई है। अन्य प्रदेश की जब्त की गई शराब प्रथम दृष्टया में घटिया स्तर की पाई गई। शराब की गुणवता की जॉच के लिए सैम्पल प्रयोगशाला में भेजने का निर्णय लिया गया है।

दैहिक शोषण का आरोपी हुआ गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। शहर के परपा थाना क्षेत्र की एक युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसका दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने रविवार को धमतरी के भखारा से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए परपा थाना प्रभारी बीआर नाग ने बताया कि गोपेश्वर साहू (32) नामक युवक नेंगानार में रहकर मजदूरी का काम करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात परपा थाना क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। गोपेश्वर उक्त युवती को शादी का प्रलोभन देकर बीते अक्टूबर माह से उसका लगातार दैहिक शोषण करता रहा। दिसम्बर में युवती को जानकारी मिली कि गोपेश्वर पहले से शादी शुदा है। युवती ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी फरार हो गया।

3 लाख बच्चों को मुफ्त में लगाए जाएंगे टीके

»15 दिन बाद पहुंचेगी जापानी बुखार की वैक्सीन

जगदलपुर (आरएनएस)। जापानी बुखार से निपटने के लिए अब सभी सरकारी हॉस्पिटल में जेई(जापानी इसेपेलाइटिस) का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। यह टीके जिला हॉस्पिटल समेत सीएचसी, प्राइमरी और सब हेल्थ सेंटर में लगेंगे। इसके लिए 15 दिनों के बाद बस्तर में इसकी वैक्सीन पहुंच जाएगी। यह वैक्सीन 9 महीने से 2 साल तक के बच्चों को लगेगी। 2 साल में करीब 37 इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं तो वहीं आधे दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत भी हो चुकी है। इस साल जहां 2 बच्चों की मौत जापानी बुखार से हो चुकी है तो वहीं कुछ बच्चों में इस बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है, साथ ही मच्छरों को नष्ट करने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है।

ग्रामीण बैंक में दीवार छेदकर अज्ञात चोरों ने किया सेंधमारी का प्रयास

राजनांदगांव (आरएनएस)। जिले के खैरागढ़ बाजार के अतरिया ग्रामीण बैंक में चोरों ने धावा बोल दिया। दीवार में लगभग तीन फीट छेदकर बैंक के अंदर जा घुसे। लाख कोशिशों के बाद भी जब चोर लॉकर तोडने में सफल नहीं हुए तो बैंक के अंदर जमकर उत्पात मचाते हुए तीन सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया है। घटना का खुलासा दो दिन की छुट्टी के बाद जब सोमवार सुबह शाखा खुली तब हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अतरिया शाखा प्रबंधक डीपी यादव ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर खैरागढ़ थाने की टीम फिलहाल जांच कर रही है।

अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के लोगों में डर का माहौल

बीजापुर (आरएनएस)। जिले के ग्राम गंगालूर के बददे पारा के पुसनार मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति की शव मिलने से आसपास के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। एसपी दिव्यांग पटेल ने की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र के बड्डुपरा पुसनार मार्ग पर शव मिला है। मृतक के मुंह में टॉवेल बंधा है और दोनों हाथ भी बंधे हुए हैं, इससे नक्सलियों द्वारा हत्या की आशंका की जा रही है। इसी क्षेत्र में बीते कुछ दिन पहले नक्सलियों ने 13 वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था तथा उसके दूसरे दिन नक्सलियों ने रोड पे पर्चे फेकर अस्पताल व स्कूलों व राजनेताओं का भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाए थे।

राजभवन में स्वागत समारोह के संबंध में राज्यपाल के सचिव बोरा ने ली समीक्षा बैठक

» कलेक्टर एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन, आयुक्त नगर निगम रायपुर शिव अनंत तायल एवं राजभवन के अधिकारी उपस्थित

रायपुर। राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा ने आज यहां राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले स्वागत समारोह के संबंध में समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर कलेक्टर एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन, आयुक्त नगर निगम रायपुर शिव अनंत तायल एवं राजभवन के अधिकारी उपस्थित थे।

बोरा ने राजभवन में आयोजित होने वाले स्वागत समारोह की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बोरा ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रोटोकाल के अनुसार विशिष्ट जनों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि स्वागत समारोह के दौरान अतिथियों के आगमन एवं प्रवेश व्यवस्था पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य सुरक्षा अधिकारी राजभवन द्वारा की जाएगी।

समारोह के आमंत्रण पत्रों का वितरण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानपूर्वक राजभवन लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था कलेक्टर रायपुर द्वारा की जाएगी। बोरा ने नगर निगम को साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। समारोह के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। समारोह के लिए पुलिस बैंड की व्यवस्था मुख्य सुरक्षा अधिकारी, राजभवन द्वारा की जाएगी। बोरा ने कहा कि कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रदेश के ख्यातिप्राप्त खिलाड़ियों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें सिर्फ राजधानी ही नहीं पूरे प्रदेश के विशिष्टजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

हाईकोर्ट का आदेश : मीसाबंदी की विधवा को मिले आधा पेंशन

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन द्वारा जनवरी 2019 से मीसा पेंशन बैन लगाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर एक बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट बिलासपुर ने मीसाबंदी की विधवा को आधी पेंशन देने का आदेश दिया गया है।

राज्य में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को आधी पेंशन मिलती थी। मीसा क़ानून के तहत पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन राज्य शासन ने जनवरी 2019 से मीसा पेंशन पर रोक लगा दिया था। जस्टिस पी. सेम कोशी के सिंगल बेंच ने आदेश दिया है कि अब विधवा को आधी पेंशन दी जाए। याचिकाकर्ता विधवा पीड़िता बिलासपुर निवासी है।

ज्ञात हो कि पूर्व में हाईकोर्ट ने बिलासपुर के 28 व दुर्ग के 32 मीसाबंदियों को तत्काल पेंशन देने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सैकड़ों परिवारों को इससे लाभ मिलेगा।

टेलिफ्रॉड के जरिये ठगी करने वाले बिहार के गैंग का पर्दाफाश

बिलासपुर (आरएनएस)। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों खाताधारकों से टेलिफ्रॉड करने वाले गिरोह को पकड़ने में बिलासपुर पुलिस को सफलता मिली है।

पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मास्टरमाइंड समेत सभी आरोपियों धर दबोचा, और उनसे ठगी में प्रयुक्त उपकरण भी जब्त किया है। बता दें, कि इन दिनों टेलिफ्रॉड के जरिए लोगों के खाते से रकम पार होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, इस पर पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप गुप्ता व पुलिस कप्तान प्रशांत कुमार अग्रवाल सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व उप-पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सिरगिट्टी पुलिस लगातार कार्य कर रही थी, इसी दौरान सूचना मिली कि ठग गिरोह के मोबाइल नम्बर का लोकेशन नालंदा बिहार में मिल रहा है, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से

बात कर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम रवाना की गई।

जहां पहुँच साइबर सेल को मदद से आरोपियों को धर दबोचा। मोबाइल नम्बर के आधार पर संदेही रितिक को पकड़ा गया, और उसकी निशानदेही पर पटना बिहार पहुंचकर मास्टरमाइंड राहुल कुमार, अभिषेक कुमार महतो,सूरज कुमार महतो को घेराबंदी कर पकड़ा, आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त 6 नग एंड्रॉइड मोबाइल, 5 नग मोबाइल, जिओ वाईफाई, लेपटॉप चार्जर समेत विभिन्न बैंकों कब 27 नग एटीएम,10 नग पेन कार्ड,24 नग विभिन्न बैंकों के पास बुक, ऑफर कार्ड सहित विभिन्न बैंकों के चेक बुक आरसी कार्ड जप्त किया गया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर हजारों की ठगी, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से हजारों रुपये की ठगी किये जाने की रिपोर्ट पुरानीबस्ती थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार राधास्वामी नगर भाठागांव निवासी रजनीश तिवारी 28 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि अभिषेक सिंह, शिवप्रताप एवं राजकिशोर साहू व रितेश प्रताप निवासी नईदिल्ली के द्वारा प्रार्थी को नौकरी दिलाने के लिये कहा गया और किसी एम.एन.सी.कंपनी में मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरयंस के अनुसार बडे पैकेज मे नौकरी दिलाने के नाम पर 66 हजसा 3 सौ 32 रूपयें लिया गया ।

हाईवे का नियम शहर में लागू, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

» हेलमेट के प्रति जागरूक करने एसपी ने जारी किया आदेश

महासमुंद (आरएनएस)। हाईवे के पेट्रोल पंप में लागू बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलने का नियम आज से शहरी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों के लिए लागू कर दिया गया है। नियम लागू होने के बाद पंपों में पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे बाइक चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों में पेट्रोल भरवाने के कुछ बाइक चालक पंप कर्मियों से निवेदन करते दिखे तो कुछ दूसरे पंपों की ओर रूख कर गए।

इधर, पुलिस विभाग ने नियम की शुरूआत अपने मुख्यालय स्थित पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप से की है। उक्त नियम के बाद सुबह पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप को छोड़कर शहर के अन्य पंपों में पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों की लाइन लगी रही। पुलिस पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे कई लोगों को बिना पेट्रोल डलवाए ही वापस लौटना पड़ा जबकि कुछ बाइक

चालक दूसरे बाइक चालकों से हेलमेट मांगकर पेट्रोल भरवाते दिखे। ज्ञात हो कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का नियम हाईवे स्थित पेट्रोल पंपों में करीब तीन साल पूर्व से लागू है। हाईवे स्थित कुछ पंपों में इस नियम का जहां कड़ाई से पालन किया जा रहा है वहीं कुछ जगहों पर खानापूर्ति की जा रही है।

आगामी दिनों में सभी पंपो में लागू होगा नियम

हालांकि यह नियम फिलहाल पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में आज से लागू हो गया है और आगामी दो दिनों के भीतर शहर सहित जिले के सभी शहरी इलाके स्थित पेट्रोल पंपों में लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा।

कठिनाईयों में लक्ष्यों का पीछा करने से मिलती है सफलता - कलेक्टर

» विवेकानंद जयंती पर दो दिवसीय युवा प्रेरणा कार्यक्रम सम्पन्न 11 एवं 12 जनवरी 2020

कांकेर (आरएनएस)। शासकीय इन्दरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर के सभागार में विवेकानंद जयंती के पावन अवसर पर दो दिवसीय युवा प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री के.एस. चौहान के मुख्य आतिथ्य, जिला पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, विशिष्ट आतिथ्य एवं अंचल के प्रख्यात जीव विज्ञानी शिक्षाविद प्रोफे. एम.एल. नायक (रायपुर) की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । कार्यक्रम का शुभारंभ एवं स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन करके मुख्य अतिथि कलेक्टर श्री चौहान ने अपने सम्बोधन में युवा छात्राओं से आव्हान किया कि कठिनाइयों का सदैव सामना करें जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी । लक्ष्यों की साधना को ही सफलता मिलती है । विशिष्ट अतिथि (जिला पुलिस अधीक्षक) श्री पटेल ने सफलता के लिए प्रेरणात्मक सूत्र बताकर नियमित अध्ययन एवं पाठ्येत्तर प्रतिभा विकास को अत्यावश्यक बताया । इस अवसर पर प्रख्यात शिक्षाविद् (जीव विज्ञानी एवं शिक्षाविद) डॉ. एम.एल. नायक (पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष) ने मानव चेतना एवं जैविकी पर विशेष व्याख्यान दिया एवं सार्थक लक्ष्य संधान की अनिवार्यता को आवश्यक निरुपित किया । अपरान्ह तथा दूसरे दिन (12 जनवरी) के मुख्य अतिथि श्री अमर सिंह कुर्रे (जंगलवार कॉलेज के) असिस्टेंट कमांडेट तथा अध्यक्षता संस्था प्राचार्य डॉ. चेतन राम पटेल ने की ।

एक्सिडेंट में कार क्षतिग्रस्त व पैदल जा रही महिला घायल, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। रोड एक्सिडेंट में सरस्वती नगर एवं आमानाका क्षेत्र में कार व इनोवा के चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त हो गई व पैदल जा रही

महिला के घायल हो जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सरस्वती नगर कोटा निवासी जयकुमार सारथी 24 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि रविवार को तेज रफ्तार बेजा कार क्रमांक सीजी 12 आर 6331 के चालक ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए कोटा में प्रार्थी की कार को टक्कर मार दिया जिसके चलते कार क्षतिग्रस्त हो गया। इसी तरह हीरापुर कबीर नगर निवासी कमेश साहनी 37 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि महोबा बाजार चौक पर 8 जनवरी को अज्ञात इनोवा चालक से तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी की मां फूलो देवी को पैदल जाते समय टक्कर मार दिया। जिसके चलते वह घायल हो गई। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों मामलों में वाहन चालकों के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के जुर्म में अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया गया है।

रेत खदान समूह आबंटन की जानकारी का अवलोकन वेबसाईट पर किया जा सकता है

धमतरी। जिले के तहत रेत खदान समूहों का आबंटन संबंधी जानकारी का अवलोकन छ.ग. माइन्स डॉट गर्वमेन्ट डॉट इन डब्ल्यू डब्ल्यू घमतरी गर्वमेन्ट डॉट इन पर किया जा सकता है। खनिज अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा जिला कार्यालय खनिज शाखा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सूचना पटल पर भी सूची प्रदर्शित की गई है।

ग्रामीण के घर से 500 कट्टी धान जब्त

कोरबा (आरएनएस)। ग्राम केराकछार में पुलिस ने एक ग्रामीण के घर से 500 बोरी धान को जब्त किया है। पुलिस ने मामले में जिला फूड विभाग को जानकारी देते हुए कार्रवाई करने कहा है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने जिले में अवैध रूप से धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश सभी थाना व चौकी प्रभारी को दिया है। इसके साथ ही जिले के विभिन्न सरहदी व अन्य क्षेत्रों में पुलिस चेकपोस्ट लगा कर राज्य व दीगर राज्य से अवैध रूप से परिवहन होने वाले धान पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार को करतला पुलिस को ग्राम भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि ग्राम केराकछार निवासी एक ग्रामीण जयराम गवेल पिता सियाराम गवेल 43 अपने घर व दुकान में लगभग 500 कट्टी अवैध धान रखा हुआ है। इस पर पुलिस ने जयराम के घर जाकर जांच पड़ताल की, तब उन्हें अवैध रूप से भंडारण किए गए 500 बोरी धान मिला। पुष्टि होने पर पुलिस ने फूड विभाग को सूचना देते हुए उचित कार्रवाई करने कहा है।

» सुरक्षित वाहन चलाएं, अपने प्राण और परिवार को सुरक्षित रखें- डॉ. चरण दास महंत

31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष का आह्वान

जांजगीर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विशेषकर गरीब परिवारो के वाहन चालकों का सड़क दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु होने के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वे ट्रेफिक नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वाहन चलाएं ताकि उनकी स्वयं की जान बचे और परिवार में आसन्न समस्याओं से सुरक्षित रह सके।

वे आज जांजगीर जिला यातायात पुलिस द्वारा कचहरी चौक में आयोजित 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे

थे। डॉ. महंत ने कहा कि असुरक्षित टेऊफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन चालकों जो उनका अथवा अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम का उपयोग कर कार्यवाही से बचने की कोशिश करें, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आने और नियमानुसार त्वरित कार्यवाही के निर्देश पुलिस प्रशासन को दिये। डॉ महंत ने जनप्रतिनिधियों का आह्वान कर कहा कि नियम के विरूद्ध असुरक्षित वाहन चालकों पर कार्यवाही रोकने अपने पद का इस्तेमाल नहीं करें। उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति से सड़क दुर्घटनाएं और बढ़ेगी। सभ्रांत वाहन चालक नैतिकता का परिचय दें:- डॉ. महंत ने सड़क मार्ग में एक्सीडेंट के दौरान घायल व्यक्ति को नजर अंदाज करने और आगे बढ़ जाने की प्रवृत्ति को अनुचित और अनैतिक निरूपित करते हुए करते हुए कहा कि हमारा नैतिक दायित्व है कि हम घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाने मदद करें। उन्होंने पालकों का आह्वान कर कहा कि वे अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने से रोंके तथा बच्चों को पर्याप्त प्रशिक्षण तथा चालक लायसेंस जारी होने के बाद ही वाहन चलाने की अनुमति दें। भारी वाहनों के चालकों पर शिकंजा कसे:- पुलिस प्रशासन को निर्देशित कर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पी.आई.एल.एस.ई.सी.एल.जी.टी.पी. के कोयला परिवहन करने वाले डंफर वाहन चालकों द्वारा बहुत ही असुरक्षित ढंग से वाहन चलाया जाता है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU